"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 मई 2018 — वैशाख 25, शक 1940

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-36/2016/गृह-सी. — स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 46) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, समस्त संभागीय आयुक्तों को निरूद्धकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है तथा उनको उक्त धारा के प्रयोजन के लिए उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर विशेष रूप से सशक्त करती है.

No. F 8-36/2016/Home-C. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988), the State Government, hereby, appoints all Divisional Commissioners as Detaining Authority and specially empowers them for the purposes of said Section within their respective jurisdiction.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.